कटंगी-2, मेहदाली एवं सिरपुर सेक्टर की लगभग 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सेक्टर सुपरवाइजरों ने भाग लिया। कार्यक्रम में एसडीएम केसी. ठाकुर, जनपद पंचायत सीईओ गायत्री कुमार सारथी, पीएचई एसडीओ जितेंद्र कुमार कारमेघे एवं उपयंत्री विनोद कुमरे की विशेष उपस्थिति रही। प्रशिक्षण ब्लॉक समन्वयक मोहिनी बोपचे, केमिस्ट मीना रहांगडाले, नेमसिंग मसंकोले एवं सीमा मेश्राम द्वारा प्रदान किया गया।

...गई व्यवहारिक जानकारी

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से पेयजल गुणवत्ता जांच की व्यावहारिक जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी एवं स्कूलों से लाए गए पानी के नमूनों की मौके पर ही जांच कर कार्यकर्ताओं को प्रत्यक्ष रूप से बताया गया कि पानी में मौजूद विभिन्न तत्वों की पहचान कैसे की जाती है। प्रशिक्षण में मुख्य रूप से फ्लोराइड, आयरन एवं पानी की कठोरता हार्डनेस की जांच करना सिखाया गया। इस अवसर पर 100 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की यूजर आईडी भी तैयार की गई। यह कार्य हरीश झा, शीतल मिश्रा, रानी सिंह राजपूत, मोहिनी पटले, फनीश रंगारे एवं श्रुति डहाटे द्वारा किया गया।

जिससे जलजनित बीमारियों की रोकथाम की जा सके। वहीं सीईओ गायत्री कुमार सारथी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के पेयजल स्त्रोतों की प्रत्येक तीन माह में जांच करने के निर्देश दिए। पीएचई एसडीओ जितेंद्र कुमार कारमेघे ने कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के पेयजल स्त्रोतों की वर्ष में कम से कम दो बार, मानसून से पहले एवं बाद में, अनिवार्य रूप से जांच करें ताकि ग्रामीणों को सुरक्षित एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट के सचिव सतीश शर्मा ने उपस्थित विद्यार्थियों को विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा नालसा की बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनका संरक्षण योजना-2015 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी।

साइबर अपराधों से बचाव को लेकर दिए टिप्स| शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे ने साइबर अपराधों से बचाव के उपायों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर ठगी एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से सतर्क रहने की सलाह दी। इस अवसर पर शासकीय आईटीआई बुढ़ी के प्राचार्य, संस्थान का स्टॉफ एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

पीएम आवास योजना के तहत बनाया मकान

भास्कर न्यूज| बिरसा

मलांजखण्ड नगर पालिका परिषद क्षेत्र के वार्ड क्रमांक-23 दरबारीटोला निवासी 60 वर्षीय हरीशचन्द्र टेम्भरे अपने संयुक्त परिवार के साथ कच्चे मकान में रहते थे। हरीशचन्द्र टेम्भरे की आजीविका का मुख्य साधन खेती थी। सीमित आय के कारण वे परिवार के लिए पक्का मकान नहीं बना पा रहे थे। वर्ष 2017-18 में हरीशचन्द्र टेम्भरे का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की सूची में शामिल हुआ। शासन से मिली 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि से उन्होंने अपने परिवार के लिए पक्का मकान बनवाया।पक्का घर बनने के बाद अब उनका परिवार सुरक्षित वातावरण में सुकून के साथ जीवन यापन कर रहा है।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक- 30/06/2026

क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा - पुराने पंजाब भवन के पास, चिटनविसगंज नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा (म.प्र)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, का प्रतीकात्मक कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, जिस प्रकार है, एवं दायित्व रहित'' के आधार पर निम्नलिखित देनदारी, प्रत्याभूति–दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई–नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	ऋण खाता/ ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग सूचना दिनांक आधिपत्य दिनांक बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	साम्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / अग्रिम धरोहर जमा राशि / बिड वृद्धि राशि
1	(1) मेसर्स. सक्षम इंडस्ट्रीज (उधारकर्ता) प्रोप. श्रीमती विजयलक्ष्मी अग्रवाल पति श्री. सुशील कुमार अग्रवाल पता वार्डनंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) (2) स्व. श्री तेजराम अग्रवाल पिता श्री. मनोहरलाल अग्रवाल (गारंटीदाता/ संपत्ति गारंटीदाता / संपत्ति बंधककर्ता (बंधककर्ता) कानूनी वारिस के माध्यम से 1. श्री. घनश्याम अग्रवाल पिता स्व श्री. तेजराम अग्रवाल वार्डनंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 2. श्री. हरीशंकर अग्रवाल पिता स्व श्री. तेजराम अग्रवाल वार्डनंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 3. श्री. संजय कुमार अग्रवाल पिता स्व श्री. तेजराम अग्रवाल .-वार्डनंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 4. श्रीमती. चंदाबाई अग्रवाल पिता स्व श्री. तेजराम अग्रवाल वार्डनंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 5. श्रीमती रीता अग्रवाल पिता स्व श्री. तेजराम अग्रवाल वार्डनंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 6. श्रीमती सरोज अग्रवाल पिता स्व श्री. तेजरामल अग्रवाल वार्डनंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 7. श्री. सुशील कुमार अग्रवाल पिता स्व श्री. तेजराम अग्रवाल वार्डनंबर 16, महावीर चौक, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र.) 8. और अन्य अज्ञात कानूनी वारिस संबन्धित शाखा: कनकी	29/10/2025 13/02/2026 रु. 52,95,845.00 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	साम्य बंधन भूमि एवं भवन संपत्ति पटवारी हल्का नं. 13 /2 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर, नजूल शीट नं. 248, नजूल प्लाट न. 150, बालाघाट, तहसील व जिला बालाघाट (म.प्र) भू स्वामी / बंधककर्ता: 1. स्व. श्री तेजराम अग्रवाल पिता श्री. मनोहरलाल अग्रवाल चतु:सीमा : उत्तर- रामवती बाई का दुसरा मकान, दक्षिण- मनोहरलाल का प्लाट, पूर्व- रोड, पश्चिम - नथमल चौरडिया का प्लाट सांकेतिक कब्जा	रु. 56,58,000/- रु. 5,65,800/- रु. 50000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbank.bank.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB alliance के वेबपोर्टल http://baanknet.com पर उपलब्ध लिंक देखें। क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा प्राधिकृत अधिकारी (मो. 9109954645) से संपर्क कर सकते है। ये ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन एवं तीस (30) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 22/05/2026

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी

TIMES

epaper-bhaskarhindi-com.wl6-demo.readwhere.com

Fri, 22 May 2026
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/79933183

Scanned with OKEN Scanner